

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।

(सामान्य न्यायालय)

वाद सं० — एम० 35/2022-23

वाद की प्रकृति :- धारा — 107, द०प्र०सं०

झारखण्ड सरकार द्वारा थाना प्रभारी, डुमरी —बनाम— संजय कु० साहु वगै०

आ दे श

पुलिस निरीक्षक—सह—थाना प्रभारी, चैनपुर थाना के डुमरी थाना अप्राथमिकी सं० — 05/2023, दिनांक — 22.03.2023 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा — 107 के तहत इस वाद की कार्यवाई प्रारम्भ करते हुए द्वितीय 1. संजय कु० साहु, पे० स्व० ज्ञानी साहु, 2. अवध साहु, पे० संजय कु० साहु 3. अखिलेश साहु, पे० संजय कु० साहु 4. रतनेश साहु, पे० संजय कु० साहु, 5. लव कुमार गुप्ता, पे० स्व० रामजी साहु 6. विकास कुमार गुप्ता, पे० स्व० रामजी गुप्ता 7. राज कुमार साव, पे० रोधो साव 8. संतोष प्रसाद पे० चरित्र साहु 9. प्रदीप साहु, पे० प्रेम साहु 10. चंदन कुमार, पे० राज कुमार साव 11. देव कुमार गुप्ता, पे० चन्द्रमोहन गुप्ता 12. अजित कुमार, पे० स्व० बालमूरत प्रसाद 13. दुर्गेश कुमार गुप्ता, पे० स्व० रामजी गुप्ता 14. हेमन्त गुप्ता, पे० गोपाल गुप्ता 15. अंकित कुमार, पे० शंकर कुमार 16. रजनीश पांडेय, पे० ब्रजेन्द्र पांडेय तीनों (15-16) सा० डुमरी, थाना डुमरी गुमला 17. करीम खान, पे० अयूब खान सा० डुमरी बेलटोली, थाना डुमरी, गुमला 18. सुरेन्द्र उरांव, पे० बिरसाय उरांव सा० लोहड़ा, थाना डुमरी, जिला गुमला को रामनवमी पर्व 2023 में शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को लेकर नोटिस निर्गत किया गया। तद्आलोक में, संबंधित पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए।

प्रश्नगत वाद में रामनवमी पर्व 2023 की समाप्ति हो चुकी है। थाना प्रभारी द्वारा शांति व्यवस्था भंग होने की सूचना नहीं दी गई है। इस वाद कार्यवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित



कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)



कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)